(173)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–1923–तीन / 1997 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–04–1997 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रगांक–325 / 1993–94 / निग0

.....

1– अमरजीत सिंह

2– बृजेन्द्र सिंह

3– अशोक कुमार सिंह, पुत्रगण रंगनाथ सिंह

निवासीगण–ग्राम मवई तहसील चुरहट,

जिला–सीधी(म0प्र0)

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– बैजनाथ सिंह

2– दानबहादुर सिंह, पुत्रगण तेजभान सिंह

निवासीगण– ग्राम मवई तहसील चुरहट,

जिला–सीधी(म0प्र0)

———अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मवई की 13 किता आराजियां, कुल रकबा 10.77 एकड़ भूमि पवाईदार में प्राप्त पट्टे के आधार पर कब्जा इन्द्राज किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15.06.1990 को उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.06.1990 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जहाँ कलेक्टर ने प्रकरण क्रमांक 16/अपील/1989-90 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 31.05.1994 से अपील स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 31.05.1994 से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 325/निगरानी/93-94 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 28.04.1997 से कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा है तथा निगरानी निरस्त की है। आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण का निराकरण प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया जावे। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1993 में पवाईदार से पट्टे से प्राप्त होकर भूमिस्वामी हो जाने के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर बिना विचार किये आदेश पारित किया । कलेक्टर सीधी ने अपने आदेश में आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन दिनांक 14.04.1989 के आधार पर नाम इन्द्राज करने के आदेश दिये और तहसीलदार प्रतिवेदन दिनांक 07.12.1989 प्रस्तुत करना दर्शाया है जबकि वास्तव में 25.01.1990 को तहसीलदार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जो पटवारी प्रतिवेदन से भिन्न था । अनुविभागीय अधिकारी को तहसीलदार के प्रतिवेदन को महत्व देकर प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही करनी चाहिये थी। कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि काफी समय पूर्व दिये

पट्टे की शर्तता की जांच अनुविभागीय अधिकारी को बारीकि से करने चाहिये थी। मात्र पवाईदार के पुत्रों के कथनों के आधार पर पट्टे को वैध नहीं माना जा सकता । इसी कारण कलेक्टर ने पट्टे की वैधता की जांच बारिकी से करने एवं अनावेदकगण को पट्टा अवैध प्रमाणित करने का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण को अपना पक्ष रखने एवं पट्टे को वैध ठहराने का अवसर उपलब्ध है। कलेक्टर के आदेश में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसी कारण आयुक्त समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त ने निगरानी निरस्त करते हुये कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–04–1997 न्यायसंगत एवं विधिनुकूल होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,